रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-73

REGISTERED No. D. (D.N.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 86] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 17, 1985/चैत्र 27, 1907

No. 86] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 17, 1985/CHAITRA 27, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1985

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 10-ईटीसी(पीएन)/85

विषय.—साफ की हुई और चिपचिपापन हटाई हुई सिल्क वेस्ट सहित मलबैरि सिल्क वेस्ट; नोयल्स और नोयल ड्रापिंगस का निर्यात ।

फा. सं. 2/5/85-ई-1:—आयात-निर्यात नीति 1985—88 (खण्ड-2) के पृष्ठ 22 पर नीति विवरण के भाग ख की क्रम सं. 62(3)-(ख) और (ग) के सामने साफ की हुई और चिपचिपापन हटाई हुई सिल्क वेस्ट सहित मलबैरि सिल्क वेस्ट और नायल्स और नायल ड्रापिंगस के निर्यात के लिए लाइसेंस नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. साफ की हुई और चिपचिपापन हटाई हुई सिल्क वेस्ट सहित मलबैरि सिल्क वेस्ट के निर्यात के लिए आवेदन-पत्रों पर "पात्रता" के आधार पर इस शर्त के अधीन विचार किया जाएगा कि चन्नापटना (कर्नाटक), जग्गी रोड (असम) और भागलपुर (बिहार) में तीन सरकारी स्पन सिलक मिलों और स्पन सिल्क यार्न का निर्माण करने वाली लाइसेंसधारी प्राइवेट स्पन सिल्क मिलों को संभरण की सम्पर्क व्यवस्थाओं के अधीन निर्यात की अनुमति समय-समय पर प्रत्येक सरकारी/प्राइवेट स्पन सिल्क मिल को आबंटित किए जाने वाले कोटे के मद्दे निम्नलिखित अनुपात में दी जाएगी :—

(1) संसाधित सिल्क वेस्ट से भिन्न उत्तम किस्म अर्थात् फाइलेचर बेसिन और कुटीर बेसिन) की मलबैरि सिल्क वेस्ट के संबंध में 1:5 अर्थात् स्पन सिल्क मिलों में से किसी भी मिल को उपर्युक्त सिल्क वेस्ट के 5 कि. ग्रा. के संभरण के मद्दे संभरक उसी किस्म की 1 कि. ग्राम. सिल्क वेस्ट का निर्यात करने के लिए हकदार होगा ।

(2) संसाधित सिल्क वेस्ट से भिन्न मलबैरि चरखा सिल्क वेस्ट के मामले में 1.4 अर्थात् देश में स्पन सिल्क मिलों को 4 किलोग्राम चरखा सिल्क वेस्ट के संभरण के प्रति संभरक एक किलोग्राम मलबैरि चरखा सिल्क वेस्ट के निर्यात के लिए पात्र होगा ।

(3) संसाधित सिल्क वेस्ट के मामले में 1:4 अर्थात् स्पन सिल्क मिलों को 4 किलोग्राम कच्चा सिल्क वेस्ट के संभरण के मद्दे संभरक एक किलो संसाधित सिल्क वेस्ट के निर्यात के लिए पात्र होगा ।

(4) सिल्क वेस्ट के निर्यातकों को वितरण की तिथि से एक महीने के भीतर स्पन सिल्क मिलों से प्रमाण-पत्र प्राप्त करना चाहिए और लिंकिंग सिस्टम के अधीन अपने कोटे का उपयोग उसको प्राप्त करने के एक वर्ष के भीतर, कर लेना चाहिए अर्थात् संभरण की तिथि

से एक वर्ष और एक माह के भीतर स्पन सिल्क मिलों द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र तिथि से एक वर्ष के भीतर ।

(5) सभी पत्तनों से निर्यात अनुमेय होगा ।

3. नोयल्स तथा नोयल्स ड्रापिंगस का निर्यात अपने एककों में नोयल्स का उत्पादन करने वाली स्पन मिलों को या उनके प्राधिकृत एजेंटों को पात्रता के आधार पर अनुमेय होगा ।

4. संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन-पत्र मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात का कार्यालय (निर्यात-1 अनुभाग), नई दिल्ली को आवश्यक विचार हेतु प्रस्तुत किए जा सकते हैं ।

प्रकाश चन्द जैन, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 17th April, 1985

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE No. 10-ETC (PN)/85

Subject :—Export of Mulberry Silk Waste including cleaned and Degummed Silk Waste and Noils and Noils Droppings.

F. No. 2/5/85-E.I. :—Attention is invited to the licensing policy for export of Mulberry Silk Waste including cleaned and degummed Silk Waste and Noils and Noils Droppings occurring against S. No. 62 (iii)-(b) & (c) of Part B of the policy statement at page 22 of the Import and Export Policy Volume-II, 1985—88.

2. Requests for export of Mulberry Silk Waste including cleaned and degummed Silk Waste will be considered 'On Merits' subject to the condition that under the linking arrangements of the supplies to the three Government Spun Silk Mills at Channaputna (Karnataka), Jaggi Road (Assam) and Bhagalpur (Bihar) and the licensed private Spun Silk Mills manufacturing Spun Silk Yarn, export will be allowed in the following ratio against quota to be allocated to each of the Government/Private Spun Silk Mills from time to time :—

(i) 1:5 in respect of mulberry silk waste of superior quality (viz. filature basin and cottage basin) other than processed silk waste i.e. against the supply of five kgs. of above silk waste to any of the spun silk mills, the supplier will be entitled to export one kg. of silk waste of the same quality.

(ii) 1 : 4 in respect of mulberry charkha silk waste other than the processed silk waste i.e. against the supply of four kgs. of charkha silk waste to spun silk mills in the country, the supplier will be entitled to export one kg mulberry charkha silk waste

(iii) 1:4 in respect of processed silk waste i.e. against the supply of four kgs. of raw silk waste to the spun silk mills, the suppliers will be entitled to export 1 kg. of processed silk waste.

(iv) The exporters of silk waste should obtain the certificate from the spun silk mills within one month of the date of supply and utilise their quota within one year of their earning the same under the linking system i.e. within one year and one month from the date of supply or within one year from the date of issue of certificate by the spun silk mills.

(v) Export to be allowed from all ports.

3. Export of Noils and Noils Droppings will be allowed on merits only to spun silk mills which produce noils in their own units or to their authorised agents.

4. Applications alongwith relevant documents may be submitted to the Office of the Chief Controller of Imports and Exports (Export-I Section), New Delhi for necessary consideration.

P. C. JAIN, Chief Controller
of Imports and Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985